# राजस्थान सरकार
# कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर

क्रमांक – उनिकृ/लेखा/निविदा/2015–16/ दिनांक

## निविदा सूचना संख्या 05/15–16

इस कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनान्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणों में चाय नाश्ता जलपान एवं भोजन सप्लाई हेतु अजमेर जिले में वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार मद की वस्तुयें जब आवश्यकता हो के आधार पर सप्लाई करने के लिये वार्षिक दर पर अनुबंध हेतु पंजीकृत/अधिकृत फर्मों व्यक्तियों से सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है।

| क्र. सं. | निविदा का नाम कार्य का विवरण | अनुमानित लागत (लाखों में) | बयाना राशि (हजारों में) | निविदा शुल्क (अप्रतिदेय) | निविदा प्रस्तुत करने एवं खोलने की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रशिक्षण में चाय, नाश्ता, जलपान, भोजन की व्यवस्था | 11.00 लाख | 23000 | 500 | दिनांक 20.01.2016 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। |

उपरोक्तानुसार मदवार सामान की सप्लाई हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा शुल्क 500 अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र कार्यालय में जमा करवा कर या उक्त राशि का डी. डी. उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर के नाम से देय हो प्रस्तुत कर निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदा की विस्तृत शर्तें **http://sppp.raj.gov.in** व विभागीय वेबसाईट **www.krishi.rajasthan.giv.in** पर देखी अथवा डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क की राशि का बैकर चैक/डीडी निविदा के साथ प्रथक से जमा करवाना आवश्यक होगा।

(वी. के. शर्मा)
उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद अजमेर

क्रमांक – उनिकृ/लेखा/निविदा/2015–16/ 7047-51 दिनांक 16.12.15

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान वित्तीय सलाहकार कृषि आयुक्तालय जयपुर।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि जयपुर खण्ड जयपुर।
3. श्रीमान एनलिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट **www.krishi.rajasthan.giv.in** पर उक्त निविदा अपलोड करावें।
4. श्रीमान सम्पादक, राजस्थान पत्रिका अजमेर को डीपीआर दर पर मुद्रण हेतु।
5. श्रीमान सम्पादक, दैनिक भास्कर अजमेर को डीपीआर दर पर मुद्रण हेतु।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
7. लेखा शाखा/भण्डारपाल कार्यालय हाजा।

(वी. के. शर्मा)
उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद अजमेर

# राजस्थान सरकार
# कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर

## निविदा प्रारूप

**निविदा फार्म शुल्क राशि 500 रूपये**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | कार्यालय का नाम | उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर |
| 2 | निविदा सूचना संख्या | क्रमांक/उनिकृ/लेखा/निविदा/2015–16/ दिनांक |
| 3 | निविदा शुल्क राशि | राशि 500/– नकद रसीद संख्या ................ दिनांक ............... एवं बैंकर चैक/डीडी नं. ................................ दिनांक ............... के द्वारा जमा करा दी गई है। |
| 4 | निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पूर्ण पता | निविदादाता/व्यक्ति/फर्म का नाम ................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ टेलीफोन नं. ...................................... मोबाईल नं. ................................ |
| 5 | निविदा प्राप्त करने की दिनांक व समय | दिनांक 20.01.2016 को दोपहर .2.00. बजे तक |
| 6 | निविदा खोलने की दिनांक व समय | दिनांक 20.01.2016 को दोपहर 3.00 बजे तक |
| 7 | अनुबंध अवधि | वित्तीय वर्ष 2015–16 में जब आवश्यकता होने के आधार पर |
| 8 | कार्य का विवरण | वर्ष 2015–16 जब आवश्यकता हो के आधार पर जिले में संचालित विभिन्न योजना अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणों में चाय नाश्ता भोजन आपूर्ति उपलब्ध की व्यवस्था करना |
| 9 | प्रस्तावित दर | संलग्न सूचि अनुसार |

मैंने/हमने उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई बोली की समस्त शर्तों को अच्छी तरह से पढ व समझ लिया है तथा मुझे/हमें बोली की समस्त शर्तें मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

**निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर**

## राजस्थान सरकार
# कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर

कृषक प्रशिक्षणों हेतु चाय, नाश्ता, जलपान, भोजन हेतु प्रस्तावित दरें

| क्र. सं. | कार्य का विवरण | प्रस्तावित दरें /डाईट | |
|---|---|---|---|
| | | जिला मुख्यालय अजमेर पर की दरें | जिले की ग्राम पंचायत स्तर पर दरें |
| 1 | **भोजन प्रति डाईट (भरपेट भोजन)**<br>**मीनू**<br>1. दाल, बाटी, मिर्ची कुटटा, चूरमा, शुद्ध देशी घी में निर्मित औसत डाईट | | |
| | 2. दाल, रोटी सब्जी, पापड, मिठाई पीस, सलाद, अचार शुद्ध देशी घी में निर्मित औसत डाईट | | |
| | 3. पनीर, सब्जी, पूडी, खीर, मिठाई पीस, अचार, सलाद, पापड, औसत डाईट | | |
| 2 | **भोजन प्रति पैकेट (सिल्वर फाईल सहित डिब्बा बन्द टिश्यू पेपर सहित)**<br>**मीनू**<br>1. दाल, बाटी, मिर्ची कुटटा, चूरमा, शुद्ध देशी घी में निर्मित औसत डाईट | | |
| | 2. दाल, रोटी, सब्जी, पापड, मिठाई पीस, सलाद | | |
| | 3. पनीर, सब्जी, पूडी, खीर, मिठाई पीस, अचार, सलाद, पापड औसत डाईट | | |
| 3 | **नाश्ता प्रति प्लेट**<br>**मीनू**<br>1. कचौरी/समोसा/150 ग्राम (प्रति नग) | | |
| 4 | **चाय**<br>1. चाय प्रति कप 100 एमएल | | |
| | 2. चाय प्रति कप 100 एमएल मय बिस्किट 5 नग | | |
| 5 | **पानी**<br>1. मिनरल वाटर (1 लीटर ब्राण्डेड) | | |
| | 2. कैम्पर में (20 लीटर) | | |

**निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर**
**फर्म का नाम व पता**

..........................................................

..........................................................

## राजस्थान सरकार
# कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर

## निविदा की शर्तें

कार्यालय द्वारा वर्ष 2015–16 में विभागीय योजनान्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणों में कृषकों को चाय, नाश्ता, जलपान, भोजन उपलब्ध कराने हेतु निविदा संख्या 5/2015–16 की शर्तें निम्नानुसार है। निविदादाता को निविदा फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तों को ध्यान पूर्वक पढे एवं प्रत्येक पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें।

1. इच्छुक निविदादाता को निविदा में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में जिस पर "प्रशिक्षण में भोजन, चाय, नाश्ता हेतु निविदा" लिखकर ही प्रस्तुत करें। निविदा खुली होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा में किसी भी प्रकार की कांट छांट नहीं करें। ऐसी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. निविदादाता भोजन व्यवस्था के अधिकृत एवं अनुभवी फर्मों/व्यक्यिों द्वारा प्रस्तुत की जावे।
4. निविदादाता का वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
5. निविदादाता को अपने पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
6. खाना उच्च गुणवत्ता पूर्व शुद्ध देशी घी में निर्मित चुपडी चपाती एवं सब्जियां शुद्ध मुंगफली के तेल में बनी हुई होनी चाहिये।
7. आपूर्ति निर्देशानुसार बताये गये स्थान एवं समय पर करनी होगी तथा भोजन शुद्ध ताजा व उच्च गुणवत्तायुक्त होना आवश्यक है।
8. खाना पकाने एवं खाना खिलाने हेतु समस्त प्रकार के बर्तन एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के स्तर पर करनी होगी। इसके लिये किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. निविदा फार्म को पेन/बाल पेन से अथवा टंकण से भरा हुआ ही प्रस्तुत किया जावे, पेन्सिल से भरा हुआ निविदा फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा उसे अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
10. निविदादाता को निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा शर्तों एवं समझोते पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है।
11. निविदादाता के भुगतान की कुल राशि में से नियमानुसार आयकर की कटौती व अन्य आवश्यक करों की कटौती की जावेगी। पेन नं. आवश्यक है।
12. निविदादाता को अपनी दरें अंकों एवं शब्दों में साफ–साफ लिखा हुआ अंकित होना चाहिये इनमें कोई त्रुटियां/अपरिलेखन/अशुद्धियां/कांट–छांट नहीं होनी चाहिये।
13. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता द्वारा लगाई गई शर्तें मान्य नहीं होगी।
14. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. प्रस्तुत दरें वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये आगामी 31.03.2016 तक के लिये ही मान्य होगी इस अवधि को आपसी सहमति से ही बढाया जा सकेगा।
16. निविदादाता को चाय, नाश्ता, भोजन आदि की आपूर्ति स्वयं के खर्चे पर वांछित प्रशिक्षण स्थलों पर ही करनी होगी।
17. निविदादाता को चाय, नाश्ता, भोजन निर्माण में उच्च क्वालिटि की सामग्री बनाने में प्रयुक्त करनी होगी।

18. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उसे भाडे पर नहीं देगा।
19. निविदादाता को जिस दिन जिस आईटम सामग्री का उपयोग नहीं किया जायेगा उस दिन एवं आईटम का भुगतान देय नहीं होगा।
20. निम्न गुणवत्ता के कारण उत्पन्न समस्त परिणामों/परिस्थितियों हेतु निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
21. प्रशिक्षण स्थल पर उच्च अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारी प्रभारी द्वारा भोजन की जांच की जावेगी भोजन एवं भोजन सामग्री की गुणवत्ता सही नही पाये जाने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी।
22. भोजन की गुणवत्ता पर शिकायत या संशय होने की स्थिति में प्रभारी द्वारा जांच की जावेगी एवं सिफारिश अनुसार कटौति की जावेगी।
23. निर्धारित समय/अवधि में कार्य संपादित नहीं करने पर उस समय की गई चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था की पूर्ण भुगतान राशि की वसूली निविदादाता से की जावेगी एवं नियमानुसार शास्ती आरोपित की जावेगी एवं हानियों की वसूली की जावेगी।
24. साईट से डाउनलोड किये हुये निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करने पर उसके साथ निविदा फार्म शुल्क के भुगतान एवं बयाना राशि का बैंकर चैक अथवा डीडी जो उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अजमेर को देय हो संलग्न करना आवश्यक है। संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
25. विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
26. निविदा में दर्शाये गये कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है।
27. सफल निविदादाता को तीन दिवस के अन्दर नियमानुसार धरोहर राशि जमा करा कर निर्धारित करार हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।
28. संविदा की शर्तो का उल्लंघन करने, कार्य संतोषप्रद नहीं होने तथा निविदा में सफल होने के उपरान्त भी कार्य नहीं करने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
29. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर व्यय आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
30. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार लागू होगी।
31. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तों में संशोधन का अधिकार उप निदेशक कृषि (विस्तार के पास सुरक्षित होगा।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 31 तक की शर्तें मुझे/हमें स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

**निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर**